न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी आर मीना ,आर ए एस
अपील संख्या– आरटीए/68/2018

उनवान

1. भँवर लाल पिता जोरावरमल महाजन, (सोमाणी) निवासी–मंगरोप, तहसील व , जिला भीलवाडा
2. लीला देवी बेवा स्व0 हिमत सिंह महाजन, (सोमाणी) निवासी–मंगरोप, तहसील व , जिला भीलवाडा
3. नरेश पुत्र स्व0 हिमत सिंह महाजन, (सोमाणी) निवासी–मंगरोप, तहसील व , जिला भीलवाडा
4. **रचना पुत्री** स्व0 हिमत सिंह महाजन, (सोमाणी) निवासी–मंगरोप, तहसील व , जिला भीलवाडा
5. **जगदीशचन्द्र पिता जोरावरमल** महाजन, (सोमाणी) निवासी–मंगरोप, तहसील व , जिला भीलवाडा
6. **बसन्त कुमार पिता जोरावरमल** महाजन, (सोमाणी) निवासी–मंगरोप, तहसील व , जिला भीलवाडा
7. **देवा पिता बरदा गुर्जर, निवासी–कुम्हारिया, तहसील व जिला भीलवाडा**
8. **गोवर्धन पिता बरदा गुर्जर, निवासी–कुम्हारिया, तहसील व जिला भीलवाडा**
9. **लक्ष्मण पिता बरदा गुर्जर, निवासी–कुम्हारिया, तहसील व जिला भीलवाडा**
10. **रतन पिता जमना गुर्जर, निवासी–कुम्हारिया, तहसील व जिला भीलवाडा**
11. **कमली पुत्री जमना गुर्जर, निवासी–कुम्हारिया, तहसील व जिला भीलवाडा**
12. **अणछी पत्नी जमना गुर्जर, निवासी–कुम्हारिया, तहसील व जिला भीलवाडा**
13. **लक्ष्मी पत्नी जमना गुर्जर, निवासी–कुम्हारिया, तहसील व जिला भीलवाडा**
14. **गिरधारी पिता हेमा गुर्जर, निवासी–कुम्हारिया, तहसील व जिला भीलवाडा**

अपीलार्थीगण

बनाम

1. भैरू पिता देवा कीर, निवासी–मंगरोप, तहसील व जिला भीलवाडा
2. रामचन्द्र पिता देवा कीर, निवासी–मंगरोप, तहसील व जिला भीलवाडा
3. उंकार पिता देवा कीर, निवासी–मंगरोप, तहसील व जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा , जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के
प्रकरण संख्या 204/2011 निर्णय एवं डिकी दिनांक 16.6.2017
अभिभाषक :

1. श्री एस एन सोमाणी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थीगण अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 17.03.2026

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88.89. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा131 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के खातेदारी अधिकार की कृषि आराजियात वाके ग्राम कुम्हारिया खेडा, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

आराजी नम्बर	रकबा
94	5 बीघा 18 बिस्वा

कुल किता 1 कुल रकबा 5 बीघा18 बिस्वा

2. वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजी नम्बर 94 के साबिक आराजी नम्बर 21 थे। जिसका रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा था। जिसका सेटलमेण्ट होने के पश्चात नये आराजी नम्बर 94 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा जरीब के अनुसार विधिवत कायम किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित किया गया किन्तु सेटलमेण्ट विभाग द्वारा राजस्व नक्शा पुराने नक्शे से नया नक्शा बनाया गया उसमें आराजी नम्बर 94 अंकित करने के बजाय आराजी नम्बर 93 अंकित कर दिया । जबकि आराजी नम्बर 94 का रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा है जो कि मौके पर विद्यमान है किन्तु लिपिकिय त्रुटिवश नक्शे में आराजी नम्बर 94 अंकित करने के बजाय आराजी नम्बर 93 अंकित कर दिया है जबकि आराजी नम्बर 93 का रकबा 1 बीघा ही है। इसलिए राजस्व रेकार्ड व नक्शे में दुरूस्ती की जाना आवश्यक है।

3. वर्तमान आराजी नम्बर 93 के साबिक आराजी नम्बर 27 था जिसका नया नम्बर 93 कायम हुआ।जिसका रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा ही बैठता है व साबिक आराजी नम्बर 21 का साबिक रकबा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

6 बीघा 19 बिस्वा था। जिसका नया नम्बर 94 कायम किये गये, आराजी नम्बर 94 कारकबा 5 बीघा 18 बिस्वा अंकित है। जबकि नक्शे में उक्त भूमि 1 बीघा ही है और इसी प्रकार आराजी नम्बर 93 का रकबा राजस्व रेकार्ड में 1 बीघा दर्ज है। जबकि नक्शे में उक्त भूमि 5 बीघा 18 बिस्वा अंकित है। इस प्रकार राजस्व रेकार्ड मे त्रुटि हुई जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

4. उक्त त्रुटि को दुरूस्त की जाने हेतु वादीगण ने प्रतिवादी को कई बार निवेदन किया व दिनांक 18.5.2011 को त्रुटि सुधार हेतु धारा 80 जाब्ता दीवानी का नोटिस प्रेषित किया । जो कि प्रतिवादीगण को प्राप्त हो गया नोटिस दिनांक 19.5.2011 को प्राप्त हो गया । जिसकी कोई कार्यवाही नहीं हुई व वाद प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई। इसलिए यह वाद पेश है।

5. वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी दिनांक 19.5.2011 से नोटिस प्राप्त होने से बिनाय वाद कारण उत्पन्न होकर जारी है।

6. अतः निवेदन हैकि वादीगण का यह वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की घोषणात्मक डिकी पारित की जावे कि ग्राम कुम्हारिया खेडा में स्थित आराजी नम्बर 94 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा कोनक्शे में आराजी नम्बर93 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जावे वइसी प्रकार आराजी नम्बर 93 को आराजी नम्बर 94 के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने की डिकी पारित की जावे।

7. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद पत्र अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 16.6.2017 से स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

8. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । प्रत्यर्थी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण हाल आराजी नम्बर 93 के खातेदार काश्तकार है। जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय मेंवादीगण ने पक्षकार नहीं बनाया है तथा प्रतिवादी तहसीलदार साहब के जवाब दावे में यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पक्षकार संयोजित नहीं कर अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिकी से अपीलार्थीगण व्यथित पक्षकार है।

10. अतः निवेदन हैकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान की एक अपील न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी अभी हाल ही में दिनांक 30.1.2018 को पटवारी हल्का से हुई। तत्पश्चात अपीलार्थीगण ने अधनीस्थ न्यायालय के यहाँ निर्णय की जानकारी कर दिनांक 2.2.2018 को निर्णय की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया एवं दिनांक 5.2.2018 को निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील जानकारी से अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही है। हालांकि अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इस कारण अपील जानकारी से अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही है।

12. अपीलार्थीगण द्वारा जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत नहीं की गई है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है।

13. अतः निवेदन है कि अपील प्रस्तुत करने में हुए देरी को क्षमा करते हुए अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जावे।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में हमें पक्षकार नहीं बनाया गया व आराजी संख्या 93 जिसके हम खातेदार थे। जिसकी निर्णय में डिकी पारित कर दी गई है। पेरोकार सरकार ने अपने जवाब में अंकन किया कि आराजी नम्बर 93 के खातेदार दूसरे हैं उन्हे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। वादी ने दिनांक 7.9.2015 को स्वयं ने पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र पेश करने कासमय चाहा गया। उसके उपरान्त लोक अदालत में प्रकरण को रखा जाकर निस्तारण कर दिया । अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । जिससे वे अपना पक्ष प्रस्तुत्त करने से वंचित रह गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई से वंचित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

कर दिया गया । अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे एवं निर्देशित किया जावे कि प्रकरण में अपीलार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

15. हमनें अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । प्रकरण में आराजी नम्बर 93 का अपीलार्थी खातेदारी है। जिससे अपीलाण्ट के हक अधिकार निहित होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी को न्यायहित मे स्वीकार किया जाता है।

16. अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान की एक अपील न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी अभी हाल ही में दिनांक 30.1.2018 को पटवारी हल्का से हुई। तत्पश्चात अपीलार्थीगण ने अधनीस्थ न्यायालय के यहॉ निर्णय की जानकारी कर दिनांक 2.2.2018 को निर्णय की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया एवं दिनांक 5.2.2018 को निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील जानकारी से अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही है। हालांकि अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इस कारण अपील जानकारी से अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही है।

17. अपीलार्थीगण द्वारा जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत नहीं की गई है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है।

18. अतः निवेदन है कि अपील प्रस्तुत करने में हुए देरी को क्षमा करते हुए अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जावे।

19. प्रत्यर्थी की ओर रिबटल में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिससे अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है उसका खण्डन होता हो। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने काजो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है। अतः न्यायहित में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

20. पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन , अवलोकन किया गया । बहस का मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन , अवलोकन व मनन किया गया। रेकार्ड अनुसार आराजी नम्बर 93 का अपीलाण्ट राजस्व रेकार्ड अनुसार खातेदार है। जिससे उसके हक हकूक निर्धारित है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिससे वह अपने अधिकारों केसंरक्षण करने से वंचित रह गया है व न्याय से वंचित हो गया हैं। इस प्रकार पारित निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

21. आदेश

अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 16.6.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रभावित खातेदार को पक्षकार संयोजित किया जावे व जवाब का समुचित अवसर प्रदान किया जावे। तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विस्तृत विवेचन के साथ विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक को उपस्थित रहे।

22. आदेश आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनायागया।

(पी आर मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा